कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला सरगुजा (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक/4958/पंचायत/2015 अंबिकापुर, दिनांक 27/07/2015

छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं **ऋतु सैन, कलेक्टर जिला सरगुजा** (छ.ग.) **दि. 21.08.2015** को जिले के ग्राम पथराई, ग्रा.पं.केसरा, जनपद पंचायत मैनपाट के रकबा 99.350 हे0 राजस्व वन– छोटे झाड़ का जंगल, क्षेत्र हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु फारेस्ट राईट एक्ट ''2006'' के तहत् **विशेष ग्राम सभा** आयोजित करने हेतु अधिनियम की धारा 129 (ख) के तहत आदेश देती हूं। छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 6 की उपधारा 2 (क) के तहत गणपूर्ति के साथ विशेष ग्रामसभा में सदस्यो की शत प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा ।

(ऋतु सैन)
कलेक्टर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/4959/पंचायत/2015 अंबिकापुर, दिनांक 27/07/2015

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, पंचायत संचालनालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड–1, ग्राम– पुरैना, पोऑ. रविग्राम रायपुर, छ.ग. द्वारा अपने पत्र क0 291/बाक्सा./सीएमडीसी/2015, रायपुर दिनांक 01.05.2015 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सीतापुर, जिला– सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवचाही हेतु अग्रेषित ।
5. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, जिला सरगुजा को प्रकाशनार्थ ।
6. तहसीलदार, मैनपाट, जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । आप ग्रामसभा में स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपाट जिला सरगुजा को सूचनार्थ । गणपूर्ति हेतु वृहद् रूप से मुनादी करावें, ताकि विशेषग्राम सभा में गणपूर्ति का अभाव न हो सके ।
8. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत केसरा, जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

ग्राम सभा में ग्राम के अधिक से अधिक सदस्य उपस्थित हो इस हेतु अभी से ही इसका वृहद प्रचार–प्रसार करावें, तथा गांव के कोटवारों से लगातार मुनादी करावे।

कलेक्टर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक–अ0पुर/2015-16/495 दिनांक 28-7-2015
प्रतिलिपि–
प्रभारी अधिकारी (बाक्सा0) सी0एम0डी0सी0 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी 28/7/15